



# Rajasthan State Pollution Control Board

## राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल

मुख्यालय: 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी,

जयपुर (राजस्थान) – 302004

क्रमांक:प.III(641)रा.प्र.नि.मं./स्था./सीधी भर्ती/2025-26/3032

दिनांक:14.11.2025

### विज्ञापन संख्या:01/2025

कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी/कनिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता सीधी भर्ती परीक्षा-2025

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल कर्मचारी सेवा नियम एवं विनियम, 1993 की अनुसूची-1 तथा यथा समय-समय पर संशोधित नियमों के अन्तर्गत सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाईन आवेदन-पत्र (Online Application Form) आमंत्रित किये जाते हैं। मण्डल द्वारा पदों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है, जिसके लिए अलग से सूचना/शुद्धिपत्र जारी नहीं किया जायेगा। आरक्षित पदों की गणना नियमानुसार की गई है। इसमें मानवीय भूल के कारण रही त्रुटि के संबंध में मण्डल को संशोधन का अधिकार होगा। पदों की संख्या एवं उनमें आरक्षित पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	पद का नाम	गैर अनुसूचित क्षेत्र	अनुसूचित क्षेत्र	कुल योग
1.	कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (JSO)	27	00	27
2.	कनिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता (JEE)	72	01	73

**आवश्यक नोट:-** राज्य सरकार/मण्डल सेवा नियमों में यदि कोई संशोधन होता है तो यह परीक्षा उसके अनुसार ही आयोजित की जायेगी।

गैर अनुसूचित क्षेत्र:-

पद का नाम	कुल पद	सामान्य (Gen-UR)				अनुसूचित जाति (SC)				अनुसूचित जनजाति (ST)				पिछड़ा वर्ग (BC)				अति पिछड़ा वर्ग (MBC)				आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)				विशेष योग्यजन/ दिव्यांगजन (Person with Disabilities)	भूतपूर्व सैनिक (Ex-Service Man)	उत्कृष्ट खिलाड़ी (Outstanding Sports person)				
																										Horization Reservation						
		सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिव्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिव्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिव्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिव्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिव्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिव्यक्ता							
JSO	27	7	2	1	0	3	1	0	0	3	0	0	0	4	1	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	2	1	0				
JEE	72	25	7	3	0	7	2	1	0	5	1	0	0	8	2	1	0	3	0	0	0	5	2	0	0	2	6	1				
Horizontal Reservation (JSO): Ex-Ser.- Gen/UR-1, SC-0, ST-0, BC-0, MBC-0, EWS-0																																
Horizontal Reservation (JEE): Ex-Ser.- Gen/UR-4, SC-1, ST-0, BC-1, MBC-0, EWS-0																																
Abbreviations used : Gen- General , SC- Scheduled Caste, ST- Scheduled Tribes, BC Backward Classes, MBC-Most Backward Classes, EWS-Economically Weaker Section																																
अनुसूचित क्षेत्र (क्षेत्रीय कार्यालय, बॉसवाड़ा):-																																
पद का नाम	कुल पद	सामान्य (Gen-UR)				अनुसूचित जाति (SC)				अनुसूचित जनजाति (ST)				पिछड़ा वर्ग (BC)				अति पिछड़ा वर्ग (MBC)				आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)				विशेष योग्यजन/ दिव्यांगजन (Person with Disabilities)	भूतपूर्व सैनिक (Ex-Service Man)	उत्कृष्ट खिलाड़ी (Outstanding Sports person)				
																										Horization Reservation						
		सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिव्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिव्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिव्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिव्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिव्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिव्यक्ता							
JEE	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Abbreviations used : Gen - General, SC - Scheduled Caste, ST - Scheduled Tribe, BC - Backward Class, MBC - Most Backward Class, EWS - Economically Weaker Section																																

Signature Not Verified

Digitally signed by Sharda Pratap Singh  
Designation : Member Secretary  
Date: 2025.11.14 17:16:14 IST  
Reason: Approved



**नोट:-**

1. कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जाति या यथास्थिति, अनुसूचित जनजाति के पात्र एवं कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 28.07.2023 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए पिछड़े वर्गों और यथास्थिति अति पिछड़े वर्गों के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्वर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रणीत किया जाएगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात् ऐसी अग्रणीत की गई रिक्तियाँ सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है, तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उपनियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जायेगा परन्तु यह और कि इस उप-नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जाति या यथास्थिति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा। जिनके लिए ऐसी रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्षों में उपलब्ध हो।
2. राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार रिक्त रखा जायेगा।
3. राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।
4. अति पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक: प.2(12)/विधि/2/2019 दिनांक 13.02.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के अति पिछड़ा वर्ग की जातियों (नॉन क्रीमीलेयर) को 5 प्रतिशत आरक्षण देय है।
5. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक: प.7(1)/कार्मिक/क-2/2019 दिनांक 19.02.2019 एवं 20.10.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10 प्रतिशत आरक्षण देय है।
6. मण्डल द्वारा भरे जाने वाले उक्त रिक्त पदों में महिला एवं विशेष योग्यजन हेतु आरक्षित पद का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से होगा। अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का होगा उसी प्रवर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा।
7. महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक: प.7(2) कार्मिक/क-2/88 पार्ट-1 दिनांक 22.12.2015 के अनुसार 30 प्रतिशत होगा।
8. महिलाओं हेतु आरक्षित अभ्यर्थी दर्शाये गए पदों में नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा एवं 2 प्रतिशत परित्यक्ता (विवाह विच्छिन्न महिला) के लिए आरक्षित है। किसी वर्ग (सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/विशेष योग्यजन) की पात्र एवं उपयुक्त विधवा/परित्यक्ता महिला (विवाह विच्छिन्न महिला) अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग की अन्य महिला अभ्यर्थियों से भरा जायेगा। विधवा अभ्यर्थी होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं परित्यक्ता महिला (विवाह विच्छिन्न महिला) को विवाह विच्छेद का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
9. किसी वर्ष विशेष में विधवाओं के लिए तथा विच्छिन्न विवाह महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को प्रथमतः अन्तर-परिवर्तन द्वारा अर्थात् विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को विच्छिन्न विवाह महिलाओं से या विपर्ययेन, भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विधवा और विच्छिन्न विवाह अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में, न भरी गई रिक्तियाँ उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जायेगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियाँ उस प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेगी जिसके लिए रिक्तियाँ आरक्षित हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्ति, पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं की जायेगी। विधवा और विच्छिन्न विवाह महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रवर्ग के भीतर क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिला को भी पहले महिला कोटे के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा।
10. विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें पि.व./अति.पि.व. के आवेदकों के लिये नॉन क्रीमीलेयर प्रमाण पत्र शामिल है। पति के नाम एवं आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
11. मुस्लिम विवाह विच्छिन्न (Divorcee) महिलाओं के मामले में न्यायालय की तलाक की डिक्री के अलावा तलाकनामा जारी करने हेतु अधिकृत काजी द्वारा जारी तलाकनामा भी मान्य होगा परन्तु इस बाबत महिला को समाज के दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों का स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा जो उनके तलाक को प्रमाणित करें एवं साथ ही महिला स्वयं को भी इस सम्बंध में स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। मुस्लिम महिलाओं के अतिरिक्त अन्य विवाह विच्छिन्न महिलाओं को सक्षम न्यायालय द्वारा तलाकनामे के डिक्री जारी होने पर ही विवाह विच्छिन्न श्रेणी के आरक्षण का लाभ देय होगा।
12. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षित पदों का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही देय है। अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ देय नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा CA No. 1085/2013 में पारित निर्णय दिनांक 30.08.2018 एवं माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा DBSAW No. 1116/2018 में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2018 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला जो विवाहोपरान्त राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है तो उसे Public employment में एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./एम.बी.सी. वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा। इसलिए उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।
13. विशेष योग्यजन/निःशक्तजन के लिए दर्शाए गए पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा।
14. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति उपयुक्त बैचमार्क दिव्यांगजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हों, तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष में अग्रेषित की जायेगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बैचमार्क दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रथमतः निःशक्तता की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अन्तर परिवर्तन (Interchange) कर भरा जायेगा। अन्तर परिवर्तन करने के पश्चात् भी यदि किसी रिक्ति हेतु कोई दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता (Employer) उस रिक्ति को दिव्यांगजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकेगा।
15. उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आरक्षण राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक F-5 (31) DOP/A-II/84 दिनांक 21.11.2019 के अनुसार कुल रिक्तियों का 2% देय होगा।

**Signature Not Verified**

Digitally signed by Sharda Pratap Singh  
Designation : Member Secretary  
Date: 2025.11.14 17:16:14 IST  
Reason: Approved

### शैक्षणिक योग्यताएं:-

#### Junior Scientific Officer:-

First Class M.Sc./M.S. in any branch of Chemistry/Soil Science/Environmental Science/Microbiology after B.Sc./B.S. in any discipline of Science from a University established by Law in India or a Foreign Qualification recognized equivalent thereto.

#### Junior Environmental Engineer:-

M.Tech./M.E. degree in Environmental Engineering after B.Tech./B.E. degree in Biotechnology/Chemical/Civil/Mining/Environmental/Textile Engineering from a University established by Law in India or Foreign Qualification recognized as equivalent thereto

Or

First Class B.Tech./B.E. Degree in any of the above branches of Engineering from a University established by Law in India or a Foreign Qualification recognized equivalent thereto.

**Note:-** if a class/division is not awarded, minimum of 60% marks in aggregate shall be considered equivalent to first class/division. If a Grade Point System is adopted, the CGPA will be converted to equivalent marks as per procedure adopted by the respective University/Institution.

#### पै-बैण्ड एवं ग्रेड-पे (वेतनमान):-

राज्य सरकार द्वारा देय सातवें वेतन आयोग के अनुसार कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-12, कनिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-10 निर्धारित है।

**नोट:-** ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो उसे प्रस्तावित किये जा रहे पद का कर्तव्यभार स्वीकार करता है, राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन (नियम), 2017 एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नियमों के अन्तर्गत परिवीक्षा कालावधि जो 2 वर्ष की है, के लिए, नियत दर से पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) संदत्त किया जायेगा अथवा जो अभ्यर्थी पूर्व से नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है, उन्हें नियमानुसार पातेय वेतन भत्ते देय होंगे। पद का विज्ञापन में अन्यत्र यथादर्शित वेतनमान, पे-मैट्रिक्स, सम्बंधित भर्ती नियमों में उल्लिखित परिवीक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने की दिनांक से ही अनुज्ञात किया जायेगा।

#### आयु सीमा:-

आवेदक दिनांक 01.01.2026 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो।

**नोट:-** उक्त पद राज्य मण्डल द्वारा पूर्व में वर्ष 2023 में विज्ञापित किये गये थे जिसके तहत आयु की गणना का आधार 01.01.2024 रखा गया था, तत्पश्चात् उक्त पदों हेतु कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया। अतः जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2026 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें नियमों में विहित प्रावधानानुसार अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की अतिरिक्त छूट देय होगी।

#### शैक्षणिक अर्हता सम्बन्धी प्रावधान:-

उक्त पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अन्तिम वर्ष में सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किन्तु उसको मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा अन्यथा वह अपात्र होगा।

#### राष्ट्रीयता:-

- (क) भारत का नागरिक हो, या
- (ख) नेपाल का प्रजाजन हो, या
- (ग) भूटान का प्रजाजन हो, या
- (घ) तिब्बती शरणार्थी जो दिनांक 01-01-62 से पहले स्थाई रूप से बसने के विचार से भारत आया हो, या
- (ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति है, जो भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगान्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (पूर्व का तंजानिया, जंजीबार, जाम्बिया, मालाबार, जैर तथा इथोपिया) से भारत आया है।

**नोट-वर्ग (ख), (ग), (घ) और (ङ) से सम्बंधित प्रार्थियों को भारत सरकार के गृह एवं न्यायिक विभाग द्वारा प्रदत्त पात्रता का वांछित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।**

ऐसे अभ्यर्थी जिनके मामलों में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक है, को परीक्षा में बैठने दिया जा सकेगा तथा उसे भारत सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र दिये जाने के अध्यक्षीन अन्तिम तौर पर नियुक्त किया जा सकेगा।

- अन्य देशों से भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से आये व्यक्तियों की पात्रता की शर्त:- इन नियमों में किसी बात के होते हुये भी सेवा में भर्ती की पात्रता हेतु राष्ट्रीयता, आयु सीमा, फीस तथा अन्य रियायतों संबंधी उपबन्ध, ऐसे व्यक्तियों के बारे में जो भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से अन्य देशों से भारत में आया हो, ऐसे आदेशों या अनुदेशों द्वारा विनियमित होंगे जो सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये जायें और ऐसे आदेशों या अनुदेशों को भारत सरकार द्वारा इस विषय में जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार यथावश्यक परिवर्तनों सहित विनियमित किया जायेगा।

#### अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश:-

- अनुसूचित क्षेत्र के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की गणना राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या: एफ. 13(20) कार्मिक/क-2/91/पार्ट दिनांक 04.07.2016 के अनुसार की जायेगी।
- अनुसूचित क्षेत्र भारत के राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्या: एफ. 19(2) 80-एल-1 दिनांक 12.02.1981 द्वारा घोषित क्षेत्र है।

**नोट:-** अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए वेतनमान, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, राष्ट्रीयता, आयु, पेंशन, विवाह पंजीयन एवं ऑनलाईन आवेदन भरने, नियुक्ति की अयोग्यताएँ, प्रमाण-पत्रों के सत्यापन, अनुचित साधनों की रोकथाम, ऑनलाईन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया एवं परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं स्कीम सम्बंधी प्रावधान गैर अनुसूचित क्षेत्र के समान यथावत लागू होंगे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sharda Pratap Singh  
Designation : Member Secretary  
Date: 2025.11.14 17:16:14 IST  
Reason: Approved

विभिन्न वर्गों/अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु देय आयु सीमा में छूट के प्रावधान:-		
क्र.सं.	अभ्यर्थियों का वर्ग एवं अन्य विशिष्ट श्रेणियाँ	अधिकतम आयु में देय छूट
1.	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी Male Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections of Rajasthan State	5 वर्ष Five Years
2.	सामान्य (अनारक्षित) वर्ग की महिला अभ्यर्थी Women Candidates belonging to General Category	5 वर्ष Five Years
3.	राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थी Women Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, Most Backward Classes and Economically Weaker Sections of Rajasthan State	10 वर्ष Ten Years
4.	विधवा एवं विच्छिन्न विवाह (परित्यक्ता/तलाकशुदा) महिला Widow and divorcee Women <b>स्पष्टीकरण:-</b> विधवा के मामले में, उसे सक्षम प्राधिकारी से अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और तलाकशुदा के मामले में, उसे तलाक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।	अधिकतम आयु सीमा नहीं No Upper age limit
5.	उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी, जो उसकी दोषसिद्धि के पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर Substantive तौर पर सेवा कर चुका था और नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था। That upper age limit mentioned above, shall not apply in the case of an ex-prisoner who had served under the Government on a substantive basis on any post before conviction and was eligible for appointment under the rules.	
6.	ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में, उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा को, उसके द्वारा भुक्त कारावास की अवधि के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा जो दोषसिद्धि के पूर्व अधिकायु का नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था। That upper age limit mentioned above, shall be relaxed by a period equal to the terms of imprisonment served in the case of an ex-prisoner who was not over age before conviction and was eligible for appointment under the rules.	
7.	कैडेट अनुदेशकों के मामले में उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा को, उनके द्वारा, राष्ट्रीय कैडेट कोर में की गयी सेवा के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो ऐसे अभ्यर्थी को विहित आयु सीमा में समझा जायेगा। That the upper age limit mentioned above shall be relaxable by a period equal to the service rendered in the N.C.C. in the case of Cadet Instructor and if the resultant age does not exceed the prescribed maximum age limit by more than three years, they shall be deemed to be within the prescribed age limit.	
8.	निर्मुक्त आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों एवं लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को, सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात् जब वे सीधी भर्ती के लिए राज्य मण्डल के समक्ष उपस्थित हों, आयु सीमा में समझा जायेगा चाहे उन्होंने आयु सीमा पार कर ली हो यदि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे। That the released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers after release from the Army shall be deemed to be within the age limit even though they have crossed the age limit when they appear before the State Board had they been eligible as such at the time of their joining the Commission in the Army.	
9.	राज्य, पंचायत समिति तथा जिला परिषद और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रम/निगम के कार्यकलापों के सम्बंध में Substantive हैसियत से सेवा कर रहे व्यक्तियों के सम्बंध में ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी। That the upper age limit for persons serving in connection with affairs of the State, Panchayat Samities and Zila Parishad and in the State Public Sector Undertaking/ Corporation in Substantive capacity shall be 40 years.	
10.	राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेसन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट देय होगी परन्तु यह कि शिथिलीकरण के पश्चात् यदि अनुज्ञेय आयु 50 वर्ष से अधिक है तो ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष लागू होगी। According to the Rajasthan Civil Services (Absorption of Ex-servicemen) Rules, 1988, relaxation in upper age limit shall be ten years to Ex-servicemen. Provided that if permissible age after relaxation works out to be more than 50 years then upper age limit of 50 years will be applicable. <b>स्पष्टीकरण:-</b> कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 22.08.2019 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेसन) नियम, 1988 यथासंशोधित के प्रावधानों के होते हुए भी किसी भर्ती से सम्बंधित सेवा नियमों में आयु सम्बंधी जो शिथिलता अन्य लोक सेवकों/अभ्यर्थियों को देय है, वह भूतपूर्व सैनिक को भी देय होगी अर्थात् आयु सम्बंधी शिथिलता के सम्बंध में दोनों नियमों में जो भी हितकर प्रावधान है, उसका लाभ भूतपूर्व सैनिकों को मिलेगा।	
11.	राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार निःशक्तजन व्यक्तियों के लिए ऊपर उल्लेखित ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट देय होगी। According to the Rajasthan Rights of Persons with Disabilities Rules, 2018, the upper age limit mentioned above shall be relaxed by 05 years for persons with benchmarks disabilities.	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sharda Pratap Singh

Designation : Member Secretary

Date: 2025.11.14 17:16:14 IST

Reason: Approved

**नोट:-**

- उपर्युक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के बिन्दु संख्या 1 से 10 तक के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) है, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपर्युक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।
- विशेष योग्यजन को ऊपरी आयु सीमा में देय छूट के उपर्युक्त बिन्दु संख्या 01 से 10 तक के अनुसार छूट दिये जाने के पश्चात् बिन्दु संख्या 11 में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार अतिरिक्त छूट देय होगी।
- कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.07.2017 एवं पत्र दिनांक 14.09.2017 व 19.02.2021 के अनुसार लम्बवत (Vertical) व क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण के अंतर्गत किसी श्रेणी के लिए आरक्षित पदों हेतु यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे- आयु सीमा, अंक, फिजिकल फिटनेस आदि) का लाभ दिया जाता है तो उसे सामान्य (अनारक्षित) रिक्रियों के प्रति विचारित नहीं किया जायेगा।
- राजस्थान सेवा नियम एवं मण्डल के नियमों में सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। इसलिए नियुक्ति दिनांक तक अभ्यर्थी की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आयु सीमा में छूट के प्रावधान हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में अंकित किये गये हैं। किसी प्रकार के विधिक वाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में अंकित प्रावधान ही मान्य होंगे।

**अन्य विवरण**

<b>चयन प्रक्रिया</b>	अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा। यह परीक्षा केवल <b>ऑनलाइन</b> आयोजित की जायेगी। जिसके संबंध में विवरण मण्डल की वेबसाइट पर यथा समय प्रकाशित कर दिया जायेगा।
<b>परीक्षा स्थान एवं तिथि</b>	परीक्षा स्थान व तिथि यथासमय वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी जाएगी।
<b>आवेदन अवधि</b>	<b>दिनांक 26.11.2025 से दिनांक 16.12.2025 रात्रि 12 बजे तक।</b>
<b>आवेदन प्रक्रिया</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को मण्डल की वेबसाइट <a href="http://environment.rajasthan.gov.in/rpcb">http://environment.rajasthan.gov.in/rpcb</a> पर उपलब्ध Apply online link को Click करना होगा। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी ई-मित्र के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र भरने से पूर्व मण्डल के पोर्टल पर उपलब्ध विज्ञापन का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। तदुपरान्त ही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करें।</li> <li>यदि आवेदन पत्र ऑनलाइन स्वीकृत होता है परन्तु किन्हीं कारणों (जिसमें सॉफ्टवेयर की त्रुटि शामिल है) से बाद में आवेदन निरस्त होने योग्य पाया जाता है तो उसे निरस्त किया जायेगा। अतः आवश्यक है कि आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी अपनी अर्हता के सम्बंध में सुनिश्चित हो लें।</li> <li>आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात् आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन-पत्र क्रमांक (Application ID) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन जमा नहीं हुआ है, उसके आवेदन पत्र के Preview को आवेदन Submit नहीं माना जायेगा।</li> <li>आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने हेतु पात्र है, उसी श्रेणी में ऑनलाइन आवेदन करें।</li> <li>राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की क्रिमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (Creamy Layer and Non-Creamy Layer)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।</li> <li>ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक, आरक्षण, आयु आदि की अर्हता से संबंधित कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया जाये।</li> <li>अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के पश्चात् आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी का प्रिन्ट आवश्यक रूप से निकाल कर अपने पास रख लें।</li> <li>मण्डल द्वारा अभ्यर्थी से उक्त प्रक्रियानुसार ऑनलाइन आवेदन-पत्र ही स्वीकार किया जायेगा।</li> <li>ऑनलाइन आवेदन पत्र राज्य के निर्धारित ई-मित्र (E-Mitra) के माध्यम से भरे जाने पर अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित राशि कियोस्क सेवा प्रदाता को सेवा शुल्क के रूप में देनी होगी।</li> </ol>

**परीक्षा शुल्क:-**

(क)	सामान्य वर्ग एवं राजस्थान के क्रिमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु	रु. 1400/-
(ख)	राजस्थान के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं राजस्थान के नॉन क्रिमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु	रु. 1200/-
(ग)	समस्त निःशक्तजन/राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग	रु. 1000/-

**नोट:-**राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा।।

**परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं परीक्षा की योजना (Syllabus, Examination Scheme):-**  
**JUNIOR SCIENTIFIC OFFICER (Syllabus & Examination Scheme):-**  
**PART-A**

- Environmental General knowledge:  
This section will contain questions National/International events related to environment and common understanding of environmental processes, National Green Tribunal Act, 2010, Pollution Indices.

Signature Not Verified

Digitally signed by Sharda Pratap Singh

Designation : Member Secretary

Date: 2025.11.14 17:16:14 IST

Reason: Approved

- Environmental Impact Assessment/Environmental Legislations in India:  
Basic concept of Environmental Impact Assessment and Environment Management Plan, Prediction and assessment of impacts on air, water, biota, noise, cultural and socioeconomic environment, Rapid and comprehensive Environmental Impact Assessment.
- Environment (Protection) Act 1986, its amendments and various rules/notification made thereunder, Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981.
- Water/Waste Water/Industrial Waste Water Analysis:  
Physical, chemical and biological characteristics of water, waste water and Sewage, performance evaluation of waste water treatment system.
- Air and Noise Pollution:  
Sources of air pollution; Properties of air pollutants; Meteorological factors influencing dispersion of air pollutants, Gaussian plume model for dispersion of air pollutants and its application; Effects on human health. Control technology for particulate and gaseous pollutants from industries. Air pollution due to Automobiles and emission control; Principles of measurements and equipment use for major parameters (Water/Air/Noise), Basics of noise pollution, Measurement and management of noise and effects on human beings, Ambient Air Quality standards & Air Quality Index.
- Municipal Solid Waste, Biomedical Waste, E-Waste, Plastic Waste and Hazardous Solid Waste:  
Problems associated with Solid Waste viz; municipal, biomedical, hazardous, e-waste, plastic waste etc., its generation, classification, characterization, analysis, treatment, reuse, recycle etc., Risk associated with hazardous waste & its Assessment; Waste Minimization; Priorities in hazardous waste management; hazardous waste treatment.

#### **PART-B**

- General Knowledge (with special reference to history, art, culture, traditions, literature, heritage and geography of Rajasthan), Mathematics, reasoning and current affairs.

#### **Examination Scheme:**

There will be one paper consisting of two parts having multiple choice type questions. There will be total 75 numbers of questions of 3 marks each. The question paper will be in Hindi and English (Bilingual).

<b>Paper-Subject</b>	<b>No. of questions</b>	<b>Time</b>	<b>Total Marks</b>
PART-A	060	90 Minutes	225
PART-B	015		
Note: -(1) Each Question will carry 3 marks.			
(2) One mark will be deducted for each incorrect answer.			
(3) 40% shall be the pass mark.			

#### **JUNIOR ENVIRONMENTAL ENGINEER (Syllabus Examination Scheme):-**

##### **PART-A**

- Environmental General Knowledge:  
This section will contain questions on National/International events related to environment and common understanding of environmental processes, National Green Tribunal Act, 2010, Pollution Indices.
- Water/Waste Water/Industrial Waste Water Engineering:  
Unit processes/Operations related to water and waste water treatment, namely Equalization Coagulation; Flocculation; Settling; filtration; Disinfection; Aeration; Adsorption etc.  
Physical, chemical and biological characteristics of water and Sewage; Activated sludge process and its modifications; treatment ponds and aerated lagoons; Trickling filters; Rotating biological contactors; Sequencing Batch reactor and Membrane Batch Reactor.  
Anaerobic digestion; Anaerobic filter and UASB, Nitrification & De- nitrification.  
Characteristics and treatment of waste water from Textile, Tannery, Dairy, Distillery, Pharmaceutical Industry, Organic Chemical, Vegetable Oil Refinery.

Signature Not Verified

Digitally signed by Sharda Pratap Singh  
Designation : Member Secretary  
Date: 2025.11.14 17:16:14 IST  
Reason: Approved



- **Air and Noise Pollution:**  
Sources of air pollution; Properties of air pollutants; Meteorological factors influencing dispersion of air pollutants; Gaussian plume model for dispersion of air pollutants and its applications, Effects on human health. Control technology for particulate and gaseous pollutants from industries. Air pollution due to Automobiles and emission control;  
  
Basic of noise pollution, Measurement and management of noise. Permissible noise levels in different zones, Effects of noise on human beings, Ambient Air Quality standards & Air Quality Index.
- **Environmental Impact Assessment/Environmental Legislations in India:**  
Basic concept of Environmental Impact Assessment, Environmental Impact Statement and Environment Management Plan; Prediction and assessment of impacts on air, water, biota, noise, cultural and socioeconomic environment; Rapid and comprehensive Environmental Impact Assessment.
- **Environment (Protection) Act 1986, its amendments and various rules/notification made thereunder. Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981.**
- **Municipal Solid Waste, Biomedical Waste, E-Waste, Plastic Waste and Hazardous Solid Waste:**  
Problems associated with Solid Waste viz; municipal, biomedical, hazardous, e-waste, plastic waste etc., its generation; classification; characterization; analysis; Onsite Collection Handling, storage Transport and Processing of solid waste; Recovery of Resources, Conversion Products and Energy generation from solid waste. Hazardous waste definition; Risk associated with hazardous waste & its Assessment; Waste Minimization; Priorities in hazardous waste management; hazardous waste treatment.

### **PART-B**

- General Knowledge (with special reference to history, art, culture, traditions, literature, heritage and geography of Rajasthan), Mathematics, reasoning and current affairs.

### **Examination Scheme:-**

There will be one paper consisting of two parts having multiple choice type questions. There will be total 75 numbers of questions of 3 marks each. The question paper will be in Hindi and English (Bilingual).

Paper-Subject	No. of questions	Time	Total Marks
PART-A	060	90 Minutes	225
PART-B	015		
Note:- (1) Each Question will carry 3 marks.			
(2) One mark will be deducted for each incorrect answer.			
(3) 40% shall be the pass mark.			

### **HOW TO APPLY:-**

#### **DETAILED GUIDELINES/PROCEDURES FOR -**

- APPLICATION REGISTRATION**
- DOCUMENT SCAN AND UPLOAD**
- PAYMENT OF FEES**

**Candidates can apply online only from 26.11.2025 to 16.12.2025 and no other mode of application will be accepted.**

### **IMPORTANT POINTS TO BE NOTED BEFORE REGISTRATION:-**

Before applying online, candidates should-

#### **(i) Scan their :**

- **photograph (4.5cm × 3.5cm)**
- **signature (with black ink)**
- **left thumb impression (on white paper with black or blue ink)**
- **a hand written declaration (on a white paper with black ink) (text given below)**

**Signature Not Verified**

Digitally signed by Sharda Pratap Singh  
Designation : Member Secretary  
Date: 2025.11.14 17:16:14 IST  
Reason: Approved

Ensure that the all these scanned documents adhere to the required specifications as given in point B to this Advertisement.

- (ii) **Signature in CAPITAL LETTERS will NOT be accepted.**
- (iii) **The left thumb impression should be properly scanned and not smudged.** (If a candidate is not having left thumb, he/she may use his/ her right thumb for applying)
- (iv) **The text for the hand written declaration is as follows –**  
*"I, \_\_\_\_\_ (Name of the candidate), hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required."*
- (v) **The above mentioned hand written declaration has to be in the candidate's hand writing and in English only. If it is written and uploaded by anybody else or in any other language, the application will be considered as invalid.** (In the case of Visually Impaired candidates who cannot write may get the text of declaration typed and put their left hand thumb impression below the typed declaration and upload the document as per specifications)
- (vi) **Keep the necessary details/documents ready to make Online Payment of the requisite application fee.**
- (vii) **Have a valid personal email ID and mobile no., which should be kept active till the completion of this Recruitment Process. RSPCB may send intimation to download call letters for the Examination etc. through the registered e-mail ID. In case a candidate does not have a valid personal e-mail ID, he/she should create his/her new e-mail ID and mobile no. before applying on-line and must maintain that email account and mobile number.**

**APPLICATION FEES (NON REFUNDABLE) PAYMENT OF FEE ONLINE :**

Bank Transaction charges for Online Payment of application fees will have to be borne by the candidate.

**A. Application Registration:-**

1. Candidates to go to the RSPCB website: <http://environment.rajasthan.gov.in/rpcb> click on the option "**APPLY ONLINE**" which will open a new screen.
2. To register application, choose the tab "**Click here for New Registration**" and enter Name, Contact details and Email-id. A Provisional Registration Number and Password will be generated by the system and displayed on the screen. Candidate should note down the Provisional Registration Number and Password. An Email & SMS indicating the Provisional Registration number and Password will also be sent.
3. In case the candidate is unable to complete the application form in one go, he / she can save the data already entered by choosing "SAVE AND NEXT" tab. Prior to submission of the online application candidates are advised to use the "SAVE AND NEXT" facility to verify the details in the online application form and modify the same if required. Visually Impaired candidates should fill the application form carefully and verify/ get the details verified to ensure that the same are correct prior to final submission.
4. Candidates are advised to carefully fill and verify the details filled in the online application themselves as no change will be possible/ entertained after clicking the **COMPLETE REGISTRATION BUTTON**. However candidates can edit the relevant details in online application form after submitting applicable edit fee whenever the edit window is made active. It may be further noted that **No correction** with respect to Name, Fathers Name, Date of Birth, Photo, Gender and Category shall be allowed.
5. The Name of the candidate or his /her Father/ Husband etc. should be spelt correctly in the application as it appears in the Certificates/ Mark sheets/Identity proof. Any change/alteration found may disqualify the candidature.
6. Validate your details and Save your application by clicking the 'Validate your details' and 'Save & Next' button.
7. Candidates can proceed to upload Photo & Signature as per the specifications given in the Guidelines for Scanning and Upload of Photograph and Signature detailed under point "B".
8. Candidates can proceed to fill other details of the Application Form.
9. Click on the Preview Tab to preview and verify the entire application form before 'COMPLETE REGISTRATION'.

Signature Not Verified

Digitally signed by Sharda Pratap Singh

Designation : Member Secretary

Date: 2025.11.14 17:16:14 IST

Reason: Approved



10. Modify details, if required, and click on 'COMPLETE REGISTRATION' ONLY after verifying and ensuring that the photograph, signature uploaded and other details filled by you are correct.
11. Click on 'Payment' Tab and proceed for payment.
12. Click on 'Submit' button.

**B. Guidelines for Scanning and Upload of Documents:-**

Before applying online a candidate will be required to have a scanned (digital) image of his/her photograph, signature, left thumb impression and the hand written declaration as per the specifications given below.

**Photograph Image:** (4.5cm × 3.5cm)

- Photograph must be a recent passport style colour picture.
- Make sure that the picture is in colour, taken against a light-coloured, preferably white, background.
- Look straight at the camera with a relaxed face
- If the picture is taken on a sunny day, have the sun behind you, or place yourself in the shade, so that you are not squinting and there are no harsh shadows
- If you have to use flash, ensure there's no "red-eye"
- If you wear glasses make sure that there are no reflections and your eyes can be clearly seen.
- Caps, hats and dark glasses are not acceptable. Religious headwear is allowed but it must not cover your face.
- Dimensions 200 x 230 pixels (preferred)
- Size of file should be between 20kb–50 kb
- Ensure that the size of the scanned image is not more than 50kb. If the size of the file is more than 50 kb, then adjust the settings of the scanner such as the DPI resolution, no. of colours etc., during the process of scanning.

**Photograph Capture**

- In addition to the above photograph, candidates will also be required to capture and upload their live photograph either by using webcam or mobile phone.
- On selecting “Capture Photo” option, candidates’ webcam will be activated allowing them to click their picture, which will get auto uploaded in the application form.
- On selecting “Click here to Scan” option, candidates can use their mobile phone to scan the QR code, which will redirect to a website, allowing to click photograph on their mobile phone. On selecting the taken picture, photograph will get auto uploaded in the application form.

**Do's and Don'ts of Photo Capture:-**

**Dos:**

- Ensure the photo is captured against a light coloured, preferably white background and there is adequate light.
- Look straight at the webcam/ camera.
- Photograph should be of passport size.

Signature Not Verified

Digitally signed by Sharda Pratap Singh  
Designation : Member Secretary  
Date: 2025.11.14 17:16:14 IST  
Reason: Approved

**Don'ts:**

- Small size photograph not to be clicked/ uploaded.
- Coloured glasses or sunglasses/ Cap should not be worn.
- Shadow on face/ not facing the camera/ distorted face/ face covered with mask / blurred image.
- Photo not taken in dark/ improper background.

**Signature, left thumb impression and hand-written declaration Image:**

- The applicant has to sign on white paper with Black Ink pen.
  - Dimensions 140 x 60 pixels (preferred)
  - Size of file should be between 10kb – 20kb for signature and 20kb - 50kb for left thumb impression.
  - Ensure that the size of the scanned image is not more than 20kb
- The applicant has to put his left thumb impression on a white paper with black or blue ink.
  - File type: jpg / jpeg
  - Dimensions: 240 x 240 pixels in 200 DPI (Preferred for required quality) i.e 3 cm \* 3 cm (Width \* Height)
  - File Size: 20 KB – 50 KB
- The applicant has to write the declaration in English clearly on a white paper with black ink.
  - File type: jpg / jpeg
  - Dimensions: 800 x 400 pixels in 200 DPI (Preferred for required quality) i.e 10 cm \* 5 cm (Width \* Height)
  - File Size: 50 KB – 100 KB
- The signature, left thumb impression and the hand written declaration should be of the applicant and not by any other person.
- If the Applicant's signature on the attendance sheet or Call letter, signed at the time of the examination, does not match the signature uploaded, the applicant will be disqualified.
- Signature / Hand written declaration in CAPITAL LETTERS shall NOT be accepted.

**Scanning the documents:**

- Set the scanner resolution to a minimum of 200 dpi (dots per inch)
- Set Colour to True Colour
- File Size as specified above
- Crop the image in the scanner to the edge of the photograph/signature/ left thumb impression / hand written declaration, then use the upload editor to crop the image to the final size (as specified above).
- The image file should be JPG or JPEG format. An example file name is: image01.jpg or image01.jpeg. Image dimensions can be checked by listing the folder files or moving the mouse over the file image icon.
- Candidates using MS Windows/ MS Office can easily obtain documents in .jpeg format by using MS Paint or MSOffice Picture Manager. Scanned documents in any format can be saved in .jpg / .jpeg format by using 'Save As' option in the File menu. Size can be adjusted by using crop and then resize option.

Signature Not Verified

Digitally signed by Sharda Pratap Singh  
Designation : Member Secretary  
Date: 2025.11.14 17:16:14 IST  
Reason: Approved

**Procedure for Uploading the documents:**

1. While filling in the Online Application Form the candidate will be provided with separate links for uploading Photograph, signature, left thumb impression and hand written declaration
2. Click on the respective link "Upload Photograph / signature / Upload left thumb impression / hand written declaration"
3. Browse and Select the location where the Scanned Photograph / signature / left thumb impression / hand written declaration file has been saved.
4. Select the file by clicking on it
5. Click the 'Open/Upload' button.
6. If the file size and format are not as prescribed, an error message will be displayed.
7. Preview of the uploaded image will help to see the quality of the image. In case of unclear / smudged, the same may be re-uploaded to the expected clarity /quality.

Your Online Application will not be registered unless you upload your Photograph, Signature, left thumb impression and hand written declaration as specified.

**Note:-**

- (1) In case the face in the photograph or signature or left thumb impression or the hand written declaration is unclear / smudged the candidate's application may be rejected.
- (2) After uploading the Photograph / signature / left thumb impression / hand written declaration in the online application form candidates should check that the images are clear and have been uploaded correctly. In case the photograph or signature or left thumb impression or the hand written declaration is not prominently visible, the candidate may edit his/ her application and re-upload his/ her photograph or signature or left thumb impression or the hand written declaration, prior to submitting the form.
- (3) Candidate should also ensure that photo is uploaded at the place of photo and signature at the place of signature. If photo in place of photo and signature in place of signature is not uploaded properly, candidate will not be allowed to appear for the exam.
- (4) Candidate must ensure that Photo to be uploaded is of required size and the face should be clearly visible.
- (5) If the photo is not uploaded at the place of Photo Admission for Examination will be rejected/ denied. Candidate him/herself will be responsible for the same.
- (6) Candidates should ensure that the signature uploaded is clearly visible
- (7) After registering online candidates are advised to take a printout of their system generated online application forms.

**C. PAYMENT OF FEES:**

**ONLINE MODE**

1. The application form is integrated with the payment gateway and the payment process can be completed by following the instructions.
2. The payment can be made by using Debit Cards (RuPay/Visa/MasterCard/Maestro), Credit Cards, Internet Banking, IMPS, Cash Cards/ Mobile Wallets.
3. After submitting your payment information in the online application form, PLEASE WAIT FOR THE INTIMATION FROM THE SERVER. DO NOT PRESS BACK OR REFRESH BUTTON IN ORDER TO AVOID DOUBLE CHARGE.

Signature Not Verified

Digitally signed by Sharda Pratap Singh

Designation : Member Secretary

Date: 2025.11.14 17:16:14 IST

Reason: Approved

4. On successful completion of the transaction, an e-Receipt will be generated.
5. Non-generation of 'E-Receipt' indicates PAYMENT FAILURE. On failure of payment, Candidates are advised to login again using their Provisional Registration Number and Password and repeat the process of payment.
6. Candidates are required to take **a printout of the e-Receipt** and online Application Form containing fee details **Please note that if the same cannot be generated, online transaction may not have been successful.**
7. For Credit Card users: All charges are listed in Indian Rupee. If you use a non-Indian credit card, your bank will convert to your local currency based on prevailing exchange rates.
8. To ensure the security of your data, please close the browser window once your transaction is completed.
9. **There is facility to print application form containing fee details after payment of fees.**

#### **GUIDELINES FOR PERSONS WITH DISABILITIES USING A SCRIBE :-**

The visually impaired candidates and candidates whose writing speed is adversely affected permanently for any reason can use their own scribe at their cost during the online examination, subject to limits as in (ii) and (iii) below. In all such cases where a scribe is used, the following rules will apply:-

- The candidate will have to arrange his/her own scribe at his/her own cost.
  - The scribe arranged by the candidate should not be a candidate for the same examination. If violation of the above is detected at any stage of the process, candidature of both the candidate and the scribe will be cancelled. Candidates eligible for and who wish to use the services of a scribe in the examination should invariably carefully indicate the same in the online application form. No subsequent request shall be entertained.
  - A person acting as a scribe for one candidate cannot be a scribe for another candidate.
  - The scribe may be from any academic stream. However for Specialist Officer's posts the scribe should be from an academic stream different from that prescribed for the post.
  - Both the candidate as well as scribe will have to give a suitable undertaking confirming that the scribe fulfils all the stipulated eligibility criteria for a scribe mentioned above. Further in case it later transpires that he/she did not fulfill any laid down eligibility criteria or suppressed material facts the candidature of the applicant will stand cancelled, irrespective of the result of the online examination.
  - Those candidates who use a scribe shall be eligible for compensatory time of 20 minutes for every hour of the examination or as otherwise advised.
- Scribe should not answer on his/her own. Any such behaviour observed will result in cancellation of candidature.
- Only candidates registered for compensatory time will be allowed such concessions since compensatory time given to candidates shall be system based, it shall not be possible for the test conducting agency to allow such time if he / she is not registered for the same. Candidates not registered for compensatory time shall not be allowed such concessions.
  - During the exam, at any stage, if it is found that scribe is independently answering the questions, the exam session will be terminated and candidate's candidature will be cancelled. The candidature of such candidates using the services of a scribe will also be cancelled if it is reported after the examination by the test administrator personnel that the scribe independently answered the questions.

(ii) Guidelines for Candidates with locomotor disability and cerebral palsy:

- A compensatory time of twenty minutes per hour or otherwise advised shall be permitted for the candidates with locomotor disability and cerebral palsy where dominant (writing) extremity is affected to the extent of slowing the performance of function (minimum of 40% impairment/disability).

Signature Not Verified

Digitally signed by Sharda Pratap Singh

Designation : Member Secretary

Date: 2025.11.14 17:16:14 IST

Reason: Approved

(iii) Guidelines for Visually Impaired candidates:

- Visually Impaired candidates (who suffer from not less than 40% of disability) may opt to view the contents of the test in magnified font and all such candidates will be eligible for compensatory time of 20 minutes for every hour or otherwise advised of examination.
- The facility of viewing the contents of the test in magnifying font will be available to Visually Impaired candidates.

These guidelines are subject to change in terms of GOI guidelines/ clarifications, if any, from time to time.

**CENTRE CLAUSES :**

1. The examination will be conducted online in venues given in the respective call letters.
2. No request for change of centre/venue/date/session for Examination shall be entertained.
3. RSPCB, reserves the right to cancel any of the Examination Centres and/ or add some other Centres, at its discretion, depending upon the response, administrative feasibility, etc.
4. RSPCB also reserves the right to allot the candidate to any centre other than the one he/she has opted for.
5. Candidate will appear for the examination at an Examination Centre at his/her own risks and expenses and RSPCB will not be responsible for any injury or losses etc. of any nature.
6. Choice of centre once exercised by the candidate will be final.

**Note:-** *If sufficient number of candidates does not opt for a particular centre for "Online" examination, RSPCB reserves the right to allot any other adjunct centre to those candidates OR if the number of candidates is more than the capacity available for online exam for a centre, RSPCB reserves the right to allot any other centre to the candidate.*

**OTHER CLAUSES**

1. The possibility of occurrence of some problem in the administration of the examination cannot be ruled out completely which may impact test delivery and/or result from being generated. In that event, every effort will be made to rectify such problem, which may include movement of candidates, delay in test. Conduct of a re-exam is at the absolute discretion of test conducting body. Candidates will not have any claim for a re-test. Candidates not willing to move or not willing to participate in the delayed process of test delivery shall be summarily rejected from the process..
2. Decision of RSPCB in all matters relating to recruitment will be final and binding on the candidate. No correspondence or personal enquiries shall be entertained by the RSPCB in this behalf.
3. If the examination is held in more than one session, the scores across various sessions will be equated to adjust for slight differences in difficulty level of different test batteries used across sessions. More than one session are required if the nodes capacity is less or some technical disruption takes place at any center or for any candidate.
4. RSPCB would be analyzing the responses (answers) of individual candidates with those of other candidates to detect patterns of similarity of right and wrong answers. If in the analytical procedure adopted by RSPCB in this regard, it is inferred/ concluded that the responses have been shared and scores obtained are not genuine/ valid, RSPCB reserves right to cancel the candidature of the concerned candidates and the result of such candidates (disqualified) will be withheld.

Signature Not Verified

Digitally signed by Sharda Pratap Singh  
Designation : Member Secretary  
Date: 2025.11.14 17:16:14 IST  
Reason: Approved

5. Instances for providing incorrect information and/or process violation by a candidate detected at any stage of the selection process will lead of disqualification of the candidate from the selection process and he/she will not be allowed to appear in any RSPCB recruitment process in the future. If such instances go undetected during the current selection process but are detected subsequently, such disqualification will take place with retrospective affect.

6. Process for Arriving at Scores:-

The Scores of Online Examination are obtained by adopting the following procedure:-

- (i) Number of questions answered correctly by a candidate in each objective test is considered for arriving at the Corrected Score after applying penalty for wrong answers.
- (ii) The Corrected Scores so obtained by a candidate are made equivalent to take care of the minor difference in difficulty level, if any, in each of the objective tests held in different sessions to arrive at the Equated Scores\*

\*Scores obtained by candidates on any test are equated to the base form by considering the distribution of scores of all the forms.

- (iii) Total score is reported with decimal point upto two digits.

Note: Cutoffs applied on total score.

#### **DOWNLOAD OF CALL LETTER**

Candidates will have to visit the RSPCB website for downloading call letters for online test. Intimation for downloading call letter will also be sent through email/SMS. Once the candidate clicks the relevant link, he/she can access the window for call letter download.

The candidate is required to use (i) User/ login Id Registration Number/Roll Number, (ii) Password/Date of Birth for downloading the call letter. Candidate needs to affix recent recognizable photograph on the call letter preferably the same as provided during registration and appear at the examination centre with (i) Call Letter (ii) Photo Identity Proof as stipulated and also specified in the call letter and photocopy of the same Photo Identity Proof as brought in original.

**CANDIDATES REPORTING LATE** i.e. after the reporting time specified on the call letter for Examination will not be permitted to take the examination. The reporting time mentioned on the call letter is prior to the Start time of the test. Though the duration of the examination is **90 minutes**, candidates may be required to be at the venue for about 4 hours including the time required for completion of various formalities such as verification and collection of various requisite documents, logging in, giving of instructions.

#### **IDENTITY VERIFICATION**

In the examination hall, the call letter along with original and a photocopy of the candidate's currently valid photo identity (bearing exactly the same name as it appears on the call letter) such as PAN Card/ Passport/ Permanent Driving License/ Voter's ID Card/ Bank Passbook with photograph/ Photo identity proof issued by a Gazetted Officer on official letter head along with photograph / Photo identity proof issued by a People's Representative on official letter head along with photograph/Aadhar card/ E-Aadhar Card with a photograph should be submitted to the invigilator for verification. The candidate's identity will be verified with respect to his/her details on the call letter, in the Attendance List and requisite documents submitted. If identity of the candidate is in doubt the candidate may not be allowed to appear for the Examination.

Signature Not Verified

Digitally signed by Sharda Pratap Singh

Designation : Member Secretary

Date: 2025.11.14 17:16:14 IST

Reason: Approved



Ration Card and Learner's Driving License are **not** valid id proof.

**Note:-** Candidates have to produce in original the photo identity proof and submit photocopy of the photo identity proof along with Examination call letter while attending the examination respectively, without which they will not be allowed to take up the examination. Candidates must note that the name as appearing on the call letter (provided during the process of registration) should exactly match the name as appearing on the photo identity proof. Female candidates who have changed first/last/middle name post marriage must take special note of this. If there is any mismatch between the name indicated in the Call Letter and Photo Identity Proof the candidate will not be allowed to appear for the examination. In case of candidates who have changed their name, will be allowed only if they produce original Gazette notification / their original marriage certificate / affidavit in original

**Employment of irregular or improper means:-**

A candidate who is or has been declared guilty of impersonation or of submitting fabricated documents which have been tampered with or of making statements which are incorrect or false, or of suppressing material information, or of using or attempting to use unfair means in the exam or documents verification or otherwise, resorting to any other irregular or improper means for obtaining admission to the examination or appearance at documents verification, shall, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be debarred from admission to any examination or appearance at any interview/documents verification held by State Board in future for selection of candidates.

**Canvassing:-**

No recommendation for direct recruitment and/ or selection either written or oral, other than that required under the Regulations, shall be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature by any means, may disqualify him for recruitment

**ACTION AGAINST CANDIDATES FOUND GUILTY OF MISCONDUCT/ USE OF UNFAIR MEANS**

Candidates are advised in their own interest that they should not furnish any particulars that are false, tampered with or fabricated and should not suppress any material information while submitting online application. At the time of examination or in a subsequent selection procedure, if a candidate is (or has been ) found guilty of –

- (i) using unfair means or
- (ii) impersonating or procuring impersonation by any person or
- (iii) misbehaving in the examination hall or disclosing, publishing, reproducing, transmitting, storing or facilitating transmission and storage of contents of the test(s) or any information therein in whole or part thereof in any form or by any means, verbal or written, electronically or mechanically for any purpose or
- (iv) resorting to any irregular or improper means in connection with his/ her candidature or
- (v) obtaining support for his/ her candidature by unfair means, or
- (vi) carrying mobile phones or similar electronic devices of communication in the examination hall, such a candidate may, in addition to rendering himself/ herself liable to criminal prosecution, be liable:-
  - a) to be disqualified from the examination for which he/ she is a candidate
  - b) to be debarred either permanently or for a specified period from any examination conducted by RSPCB
  - c) for termination of service, if he/ she has already joined the RSPCB.

Signature Not Verified

Digitally signed by Sharda Pratap Singh  
Designation : Member Secretary  
Date: 2025.11.14 17:16:14 IST  
Reason: Approved

**Note:-** 1. Candidates are cautioned that strict laws have been provided for offences related to use/utilize or resort to unfair means in any public examination as described under the provisions of **The Rajasthan Public Examination (Measures for Prevention Unfair Means in Recruitment) Act, 2022** and **The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024** of Government of India.

2. Candidates should follow all instructions given by Venue in- charge/ venue officer/ Centre Co- ordinator/ etc.. In case of not doing so or indulging in any kind of unfair behaviour at the examination centre and use or attempt to use unfair means during the examination, the Centre Co- ordinator can take all actions against the candidate as it deems fit. Action can also be taken against such candidate under the aforesaid Acts of 2022 and 2024.

**ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना :-**

ऑनलाईन आवेदन Submit किये जाने के पश्चात्, यदि आवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि का पता चलता है तो अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन में स्वयं (अभ्यर्थी) के नाम, फोटो, पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग एवं कैटेगरी के अतिरिक्त अन्य त्रुटि संशोधन निम्नानुसार कर सकता है:-

1. यदि कोई अभ्यर्थी अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन की अंतिम दिनांक के पश्चात् राज्य मण्डल की वेबसाइट पर लिंक दिये जाने की तिथि से 05 दिवस के भीतर निर्धारित **शुल्क रुपये 500/-** का ऑनलाईन भुगतान कर आवेदन पत्र में संशोधन कर सकता है। इसके पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा।
2. मण्डल द्वारा उपरोक्त संशोधन अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा।
3. मण्डल द्वारा अभ्यर्थी से उक्त प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी भी तरह से कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया जायेगा व उक्त संशोधन प्रक्रिया के उपरान्त कोई भी ऑफलाईन/ऑनलाईन परिवर्तन करने हेतु अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

**अति महत्वपूर्ण बिन्दु:-**

- (1) अभ्यर्थी Online Application Form में अपना वही मोबाईल नम्बर व ई-मेल आई.डी. अंकित करें जिस पर यह परीक्षा इत्यादि सम्बंधी भावी सूचना SMS & E-Mail के माध्यम से चाहता है। ऑनलाईन आवेदन में अंकित मोबाईल नम्बर व ई-मेल आई.डी. बदलने/बन्द होने/नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएं प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
- (2) आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन-पत्र ध्यानपूर्वक भरें। आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन-पत्र अन्तिम रूप से भरने से पूर्व उसकी समस्त प्रविष्टियों से आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही-सही भरी गई है। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को सही मानकर मण्डल द्वारा आगे की कार्यवाही की जायेगी।
- (3) अभ्यर्थी मण्डल द्वारा निर्धारित समय सीमा में आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किये बिना अपना ऑनलाईन आवेदन करें अन्यथा किसी प्रकार की कोई नेटवर्क समस्या के लिए मण्डल जिम्मेदार नहीं होकर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- (4) आवेदक द्वारा स्वयं/ई-मित्र/अन्य किसी स्रोत से ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरते/भरवाते समय किसी प्रकार की कोई गलत प्रविष्टि/त्रुटि हो जाती है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। इसलिए आवेदक सर्वप्रथम ऑनलाईन आवेदन पत्र के Preview में अपना नाम, फोटो, पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग, कैटेगरी सहित समस्त दर्ज प्रविष्टियों की जाँच आवश्यक रूप से करने के पश्चात्, त्रुटि होने पर उन्हें सुधारने के पश्चात्, ऑनलाईन आवेदन पत्र को Submit करें और उसका प्रिन्ट लेकर उसकी जाँच आवश्यक रूप से पुनः कर लें। अगर फिर भी कोई गलती/त्रुटि पाई जाती है, तो राज्य मण्डल द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन की निर्धारित प्रक्रियानुसार संशोधन आवश्यक रूप से कर लें। इसके पश्चात् किसी प्रकार का कोई ऑनलाईन या ऑफलाईन संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व स्वयं अभ्यर्थी का ही होगा। साथ ही आवेदक को यह भी हिदायत दी जाती है कि आवेदक अगर ई-मित्र अथवा अन्य स्रोत से आवेदन करवाता है तो आवेदक स्वयं ई-मित्र अथवा अन्य स्रोत पर जाकर आवेदन करवायें, ई-मित्र अथवा अन्य स्रोत के भरोसे न छोड़ें कि उनके द्वारा आपका ऑनलाईन आवेदन पत्र सही-सही भर दिया होगा/जायेगा। किसी भी प्रकार की गलत सूचना भरे जाने पर राज्य मण्डल अभ्यर्थी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने हेतु स्वतंत्र होगा।
- (5) आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से भिन्न/गलत श्रेणी में आवेदन करने पर, आवेदक का आवेदन-पत्र मण्डल द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक (स्वयं) की होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/भूतपूर्व सैनिक/विधवा/परित्यक्ता/विकलांगता/अन्य वर्ग के अभ्यर्थी Online Application Form प्रस्तुत (Submit) करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट रूप से उल्लेख निर्धारित कॉलम में करें अन्यथा ऐसे अभ्यर्थियों को जो कि उक्त वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होकर आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में जो श्रेणी/वर्ग भरी/भरा है, उसी श्रेणी/वर्ग में ही मानकर कार्यवाही की जाएगी।
- (6) मण्डल द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई सूचनाओं के आधार पर अभ्यर्थियों की पात्रता (आयु, योग्यता, श्रेणी इत्यादि) की जाँच की जाएगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।
- (7) आवेदक जिनके ऑनलाईन आवेदन-पत्र, आवेदन-पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक मण्डल की वेबसाइट पर पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होंगे, ऐसे आवेदकों को मण्डल द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से संबंधित भर्ती परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा के लिये प्रवेश-पत्र जारी करने का यह अभिप्राय नहीं है कि मण्डल द्वारा उसकी उम्मीदवारी अंतिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लेखित प्रविष्टियों मण्डल द्वारा सही मान ली गई है। मण्डल द्वारा आवेदकों की पात्रता की जाँच अलग से की जाएगी। यदि अभ्यर्थी की किसी भी कारण से अपात्रता का पता चलता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
- (8) आवेदक उक्त पद हेतु तभी आवेदन करें जब वह उक्त पद हेतु विज्ञापन में निश्चित निम्न व उच्च आयु सीमा के अन्तर्गत वॉछित शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सम्पूर्ण मानदण्ड/मापदण्ड पूर्ण करता हो साथ ही इस विज्ञापन में दी गई उक्त वॉछित शैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त अन्य किसी योग्यता एवं अनुभव को मण्डल द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (9) परीक्षार्थियों द्वारा ई-प्रवेश पत्र में उल्लेखित विस्तृत दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sharda Pratap Singh

Designation : Member Secretary

Date: 2025.11.14 17:16:14 IST

Reason: Approved

- (10) राज्य कर्मचारी को देय लाभ यथा आयु सीमा में छूट आरक्षण इत्यादि केवल राजस्थान राज्य के कर्मचारियों को ही प्राप्त है। अन्य राज्य के कर्मचारी या केन्द्र सेवा के कर्मचारी सामान्य ही माने जायेंगे, उन्हें उक्त लाभ नहीं दिया जायेगा।
- (11) भर्ती प्रक्रिया लम्बित रहने के दौरान सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत किसी भी प्रकार की सूचना भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक उपलब्ध नहीं करवायी जायेगी। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने पर वॉछित सूचना नियमानुसार उपलब्ध करायी जा सकेगी।
- (12) यह भर्ती प्रक्रिया पूर्व में मण्डल द्वारा की गई भर्ती के सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन विधिक प्रकरणों में जारी किये गये आदेश/निर्णय के अधीन रहेगी।
- (13) परीक्षा हेतु प्रश्नपत्रों का अवलोकन केवल अभ्यर्थियों को परीक्षा के दौरान ही अनुमत होगा। परीक्षा समाप्त होने के उपरान्त इन प्रश्नपत्रों को किसी के साथ साझा नहीं किया जाएगा। उक्त परीक्षा में आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया का प्रावधान नहीं है। अतः परीक्षा के उपरान्त उत्तरकुजिका किसी के साथ साझा नहीं की जायेगी।
- (14) यह विशेष रूप से सूचित किया जाता है कि प्रत्येक अभ्यर्थी को किसी पद के लिए केवल एक बार ही ऑनलाइन परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति होगी। एक ही पद के लिए एक से अधिक बार परीक्षा में सम्मिलित होना अभ्यर्थिता (Candidature) की निरस्तीकरण का कारण बनेगा। यदि किसी अभ्यर्थी के नाम से एक से अधिक कॉल लेटर जारी हो गए हों, तो उसे केवल एक ही बार, संबंधित कॉल लेटर में निर्दिष्ट तिथि एवं समय पर परीक्षा में सम्मिलित होना होगा।

#### **नियुक्ति के लिए अयोग्यताएँ:-**

- (अ) यदि किसी अभ्यर्थी/परीक्षार्थी को राज्य की किसी भी भर्ती/परीक्षा बोर्ड द्वारा अनुचित साधनों के प्रयोग/उपभोग या अनुचित/अभद्र व्यवहार के लिए भविष्य की परीक्षाओं/साक्षात्कारों आदि से विवर्जित (Debar) किया गया है, तो मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- (ब) किसी भी ऐसे पुरुष/महिला अभ्यर्थी को जिसके एक से अधिक जीवित पति/पति हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जायेगा। किसी अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिये उसके पास विशेष आधार है।
- (स) किसी भी ऐसी महिला उम्मीदवार को जिसने उस पुरुष से विवाह किया है, जिसके पहले जीवित पति है, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जायेगा। किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है, यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिये उसके पास विशेष आधार है।
- (द) किसी भी विवाहित पुरुष/महिला अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया है।
- स्पष्टीकरण:- इस नियम के प्रयोजन हेतु दहेज से वही तात्पर्य होगा जो दहेज प्रतिरोध एक्ट 1961 (सेन्ट्रल एक्ट, 28 ऑफ 1961) में है।
- (य) राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक: प.6(19)गृह-13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राज्य सेवा एवं मण्डल सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है।
- (र) राजस्थान लोक सेवा आयोग/राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा किसी भी परीक्षा में वंचित किये गये ऐसे आवेदक जिनके वंचित होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति के अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं कर पायेंगे।
- (ल) ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा। परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि दिनांक 01.06.2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती, परन्तु यह और कि किसी भी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से केवल एक बच्चा/संतान है, किन्तु किसी एक पश्चात्तर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे/संतान पैदा होते हैं, वहां बच्चों/संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुये बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा। परन्तु यह भी कि किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्वतर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी। परन्तु यह भी कि ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरुद्ध नहीं है यह ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो। इस उप-नियम के उपबंध किसी विधवा और विच्छिन्न-विवाह महिलाओं की नियुक्ति पर लागू नहीं होंगे। तत्संबंधी शपथ-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना वॉछनीय होगा।
- (व) ऐसे अभ्यर्थी जो धूम्रपान एवं गुटखा सेवन करते हैं, वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।
- (स) यदि किसी आवेदक द्वारा भर्ती के समय उपलब्ध करवायी गई जानकारी/सूचना दस्तावेज सत्यापन के समय अथवा नियुक्ति के पश्चात् असत्य पायी जाती है तो इस सम्बन्ध में समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी एवं आवेदक का चयन तत्समय निरस्त कर दिया जायेगा तथा आवेदक का इस सम्बन्ध में राज्य मण्डल के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई कानूनी अधिकार मान्य नहीं होगा।

#### **प्रमाण-पत्रों का सत्यापन:-**

आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/टी.एस.पी./भूतपूर्व सैनिक/विधवा/विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा/परित्यक्ता/विकलांगता/अन्य) का लाभ तब ही देय होगा जबकि परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित होने पर मूल दस्तावेजों से उनकी पात्रता की जाँच कर ली गई हो तथा दस्तावेज सही पाये गए हों। अतः पात्रता की जाँच हेतु निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर लिया जावे:-

- कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 20.01.2022 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने हेतु जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा परन्तु यदि किन्हीं कारणों से अभ्यर्थी द्वारा आवेदन की अन्तिम तिथि तक जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तथा अन्तिम तिथि के पश्चात् जारी किया हुआ प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह आवेदन की अन्तिम तिथि को संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था तथा यह सूचना गलत पाये जाने पर उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
- जाति प्रमाण-पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ होना चाहिये।
- पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण-पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमीलेयर/नॉन क्रीमीलेयर की प्रविष्टियां सही-सही एवं पूर्ण भरी गई है। पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण-पत्र जो नियमानुसार नवीनतम जारी किये हुए होने आवश्यक हैं।
- पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण-पत्र जो नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो। पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sharda Pratap Singh

Designation : Member Secretary  
Date: 2025.11.14 17:16:14 IST  
Reason: Approved

5. राजस्थान राज्य को पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को Online Application Form में सामान्य वर्ग के आवेदक के रूप में आवेदन करना होगा।
6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवास स्थान के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम व निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
7. राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा।
8. शैक्षणिक योग्यता परीक्षा दिनांक तक अर्जित होना आवश्यक है तथा शेष सभी जैसे श्रेणी/वर्ग/जाति/टी.एस पी/उत्कृष्ट खिलाड़ी (सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र), आयु (आयु की गणना हेतु सैकण्डरी परीक्षा प्रमाण-पत्र), विकलांगता (सम्पूर्ण भारत वर्ष के किसी भी राज्य के सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी 40 प्रतिशत या उससे अधिक का विकलांगता प्रमाण-पत्र जिसमें निःशक्ता की श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख) राज्य कर्मचारी एवं अन्य के अनुसार प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन-पत्र की अंतिम दिनांक तक जारी होना आवश्यक है। विधवा श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला अभ्यर्थी के पास पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं पति के नाम से लिंक प्रमाण पत्र (यथा-विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पति के नाम से मूल निवास प्रमाण पत्र इत्यादि) वर्ग/श्रेणी संशोधन की दिनांक तक प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा विधवा श्रेणी/वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। इसी प्रकार परित्यक्ता/तलाकशुदा/विच्छिन्न विवाह श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला आवेदक के पास माननीय न्यायालय द्वारा पारित तलाक सम्बंधी डिक्री (माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में DBSA No.72/2022 के निर्णयानुसार) ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक प्राप्त होना आवश्यक है, अन्यथा परित्यक्ता/विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा श्रेणी का लाभ देय नहीं होगा।

**नोट:-** निदेशालय विशेषयोग्यजन के आदेश दिनांक 28/02/2024 के अनुसार दिनांक 01/03/2024 के पश्चात् जारी नवीन दिव्यांगता प्रमाण पत्र U.D.I.D./स्वावलम्बन पोर्टल से जारी किये हुये ही मान्य होंगे।

9. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ होना चाहिये तथा टी.एस.पी क्षेत्र का प्रमाण-पत्र कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.10.2019 के अनुसार उक्त अधिसूचना जारी होने के पश्चात् का एवं ऑनलाईन आवेदन की तिथि से पूर्व का जारी किया हुआ होना चाहिये।
10. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण-पत्र (Income & Assets Certificate) अभ्यर्थी एवं उसके पिता के नाम को दर्शाते हुए नियमानुसार पारिवारिक आय के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा।
11. भूतपूर्व सैनिक के संबंध में प्रावधान कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.12.2020 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपनी पेशा अर्जित करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया/गयी है या आगामी एक वर्ष के भीतर-भीतर सेवानिवृत्त हो रहा/रही है, पर उसने सक्षम अधिकारी से निराक्षेप प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है, पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी, किन्तु पद ग्रहण करने से पूर्व उसे समुचित नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष सेवानिवृत्ति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक निराक्षेप प्रमाण पत्र (N.O.C.) के आधार पर आवेदन करता/करती है और वास्तविक सेवानिवृत्ति से पूर्व चयनित हो जाता/जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी पद ग्रहण कालावधि को शिथिल कर सकेगा और उसे उसकी सेवानिवृत्ति के दो माह की किसी कालावधि के भीतर-भीतर पद ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा। **कार्मिक (क-4/2) विभाग के पत्र दिनांक 19.07.2021 के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन किये जाने के पश्चात् सेवानिवृत्ति के प्रमाण का प्रस्तुतिकरण के लिए 1 वर्ष की अवधि की गणना आवेदन पत्र की अन्तिम तिथि से की जायेगी।** साथ ही यदि किसी भूतपूर्व सैनिक ने आरक्षण का लाभ लेने के पश्चात् राजस्थान सरकार के अधीन किसी पद पर एक बार सेवा ग्रहण कर ली है तो राजस्थान सरकार के अधीन पुनर्नियोजन के प्रयोजन के लिए उसकी भूतपूर्व सैनिक की प्राप्ति समाप्त हो जायेगी। राजस्थान सरकार के अधीन नियोजन ग्रहण करने के पश्चात् किसी व्यक्ति को एक सिविल कर्मचारी माना जायेगा। परन्तु सीधी भर्ती की दशा में जहां किसी भी पद के लिये किसी निम्न पद का अनुभव अनिवार्य है, भूतपूर्व सैनिक को केवल इस कारण से कि वह, सरकारी सेवा में किसी निम्नतर पद, जिसका अनुभव उच्चतर पद पर सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित है, पर नियोजित है, भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। परन्तु यह और कि यदि कोई भूतपूर्व सैनिक राजस्थान सरकार के अधीन किसी नियोजन को ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पदों के लिये आवेदन करता है और सम्बन्धित नियोजक को, राजस्थान सरकार के अधीन प्रारम्भिक पद ग्रहण करने से पूर्व विभिन्न पद जिसके लिये जिसने आवेदन किया है, के लिये आवेदन की तारीख-वार ब्यौरों के बारे में कोई स्वतः घोषणा पत्र/बचनबन्ध देता है तो ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिये उसे भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। परन्तु यह और भी कि भूतपूर्व सैनिक जिसे राजस्थान सरकार के अधीन नैमित्तिक/संविदा/अस्थायी/तदर्थ आधार पर पुनर्नियोजित किया गया है तो भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। **“कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 01.08.2021 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवाएँ (भूतपूर्व सैनिकों का आगमन) नियम, 1988 के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिकों को देय लाभ, राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही देय है”।**
12. परित्यक्ता/विच्छिन्न विवाह/तलाकशुदा श्रेणी की महिला को ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक तक एवं विधवा महिला को आवेदन की अंतिम तिथि तक अथवा विधवा के द्वारा वर्ग/श्रेणी संशोधन करने पर उसे वर्ग/श्रेणी संशोधन की दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
13. आवेदक को अंतिम शैक्षणिक संस्था का चरित्र प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें चरित्र के संबंध में कम से कम अच्छा का उल्लेख/अंकित होना आवश्यक होगा।
14. आवेदक को चयन उपरान्त आचरण सम्बंधी पुलिस सत्यापन प्रमाण-पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा, जिसमें आवेदक के खिलाफ ऐसी किसी आपराधिक धारा का उल्लेख नहीं होना चाहिये जिससे राज्य सेवा में नियुक्ति में बाधा/समस्या उत्पन्न हो। साथ ही किसी आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध होने या प्रकरण/वाद न्यायिक रूप से विचाराधीन होने पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा।
15. आवेदक को चयन उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा जाँच सम्बंधी चिकित्सा प्रमाण-पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, कि आवेदक पूर्णरूप से स्वस्थ है एवं राज्य सेवा के लिए पूर्णतः उपयुक्त है।
16. आवेदक जो पहले से ही सरकारी सेवा यथा/जैसे केन्द्रीय/राज्य/सरकारी उपक्रमों में नियुक्त है एवं उनका चयन उक्त पदों हेतु भर्ती में हो गया है, उन्हें अपने नियुक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
17. अभ्यर्थी की पात्रता के सम्बन्ध में संबंधित सेवा नियम के अनुसार मण्डल का निर्णय अन्तिम होगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sharda Pratap Singh

Designation: Member Secretary

Date: 2025.11.14 17:16:14 IST

Reason: Approved

**आवेदन-पत्र में गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना/अपूर्ण आवेदन पत्र/सूचना नहीं भरने के संबंध में विशेष निर्देश:-**  
अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए परीक्षार्थियों हेतु मण्डल द्वारा मण्डल की वेबसाइट पर जारी निर्देशों का अध्ययन आवश्यक रूप से करते हुए आवेदन-पत्र भरें। ऑनलाईन आवेदन पत्र में कोई गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना पाये जाने पर आवेदक का आवेदन-पत्र रद्द कर दिया जावेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना या अपूर्ण आवेदन-पत्र के सुधार हेतु व्यक्तिशः/ऑफलाईन प्रार्थना-पत्र/ऑनलाईन प्रार्थना-पत्र/पत्र-व्यवहार इत्यादि स्वीकार नहीं किया जाएगा। चूंकि मण्डल द्वारा अभ्यर्थी की पात्रता की जाँच सम्बंधित भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी होने के पश्चात् अस्थाई रूप से चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत विस्तृत आवेदन पत्र के माध्यम से पूर्व किये गये ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना के आधार पर की जाती है। इसलिए ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को सही मानते हुए भर्ती परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जायेगा। अगर अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अपूर्ण सूचना भरी है, तो अभ्यर्थी का चयन रद्द करने का अधिकार मण्डल का होगा व इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी जिसके सम्बंध में अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

**विशेष नोट:-**

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि मण्डल द्वारा उक्त विज्ञापन में विज्ञापित पद हेतु समस्त स्थिति उक्तानुसार स्पष्ट की जा चुकी है अगर फिर भी आवेदक/ई-मित्र/अन्य स्रोत द्वारा किये गये ऑनलाईन आवेदन-पत्र में किसी प्रकार की कोई गलती/त्रुटि/लोप/अपूर्ण सूचना रह जाती है या आवेदक विज्ञापन के अनुसार पूर्ण पात्रता नहीं रखता है, इत्यादि के कारण आवेदक का ऑनलाईन/विस्तृत आवेदन-पत्र मण्डल द्वारा भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण पर खारिज/निरस्त कर दिया जाता है, तो इस संबंध में किसी प्रार्थना-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा और अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार भी नहीं होगा। आवेदक को चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में सम्मिलित होने के लिए यात्रा-भत्ता अथवा दैनिक भत्ता आदि देय नहीं होगा।

**अन्य बिन्दु व सूचना:-** आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए मण्डल की वेबसाइट <http://environment.rajasthan.gov.in/rpcb> पर उपलब्ध सामान्य दिशा-निर्देशों का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। इसके अतिरिक्त इस परीक्षा के संबंध में समय-समय पर जारी सूचनाओं का अवलोकन मण्डल की वेबसाइट पर कर सकते हैं।

(शारदा प्रताप सिंह)  
सदस्य सचिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Sharda Pratap Singh  
Designation : Member Secretary  
Date: 2025.11.14 17:16:14 IST  
Reason: Approved